

अनुज्ञापन विभाग

मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, कलम ३२८/३२८ - अ के तहत व्यावसायिक आस्थापना के
व्यतिरिक्त स्थानपर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु आवेदन पत्र.

विभाग

1	आस्थापना / भागीदारी संस्था / कंपनीका नाम , पता और दुरध्वनी क्रमांक	:	
---	--	---	--

2	आस्थापना का प्रकार	:	स्वामित्व / भागीदारी संस्था / निजी कंपनी / सार्वजनिक कंपनी / धर्मादाय संस्था / सार्वजनिक प्राधिकरण / बैंक / अन्य
---	--------------------	---	--

3	भागिदार / संचालक / मालिक / विश्वस्त / प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता		
	नाम	पद	ध्रमणध्वनी क्र.
			स्थायी लेखा क्र. (पैन क्र.)

4	आवेदक का नाम	:			
	श्रीमान / श्रीमती	:	प्रथम नाम	पिता /पती का नाम	उप नाम

5	आवेदक के निवास का पता	:	
---	-----------------------	---	--

6	विज्ञापन का विवरण (✓)	i)	प्रकाशित / अप्रकाशित	
	ए) फलक (जमीन / दिवार (Dead Wall))	ii)	फलकों की संख्या (विभागनिहाय)	
	बी) अस्थिर विज्ञापन फलक (मोबाईल होर्डिंग)	iii)	फलकों का आकारमान	
	सी) पर फलक :		लंबाई	उंचाई
	i) स्कायवॉक			
	ii) उडाण पूल			
	iii) पादचारी पूल			
	डी) कमान स्थित फलक			
	ई) किऑस्क			
	फ) परिवर्तनीय सूचना फलक			
	ग) कंसाकृती कमान (केन्टीलीव्हर्स)			
	एच) निर्माण के तहत इमारत पर लपेट			
	आय) निर्माण के घेर पर फलक			
जे) अन्य				

बृहन्मुंबई महानगरपालिकाद्वारा संमत धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वोंका मैंने ध्यानपूर्वक पठन किया है, तथा सभी शर्तोंकी पूर्तता की है। मेरे द्वारा सादर की गयी जानकारी गलत पाये जाने पर कानून द्वारा स्थापित किये गये सभी दंडनीय सजा का पात्र रहूंगा, इस बात की सहमती प्रदान करता हूं।

I have read carefully the approved policy guidelines of the MCGM for above permission and have complied all the conditions. I accept, that, in the event the information submitted by me is found false, I am liable for all such penal actions as prescribed under the law.

दिनांक:

आवदेक का हस्ताक्षर

अनु. क्र.	निम्नलिखित कागदपत्रों की साक्षांकित प्रती सादर करें।
अ)	पहचान पत्र (कोई एक)
	i) पैन कार्ड
	ii) आधार कार्ड
	iii) पासपोर्ट
	iv) वाहन परवाना (ड्रायविंग लायसन्स)
	v) मतदाता पहचान पत्र
ब)	अहाता अधिग्रहण स्थापित करनेवाले कागदपत्र (कोई एक)
	i) भाडा रसीद
	ii) व्यावसायिक फोटोपास
	iii) पंजीकृत भाडा करारनामा (रजिस्टर्ड लिक्व लायसन्स एग्रीमेंट)
	iv) पट्टानामा (लीज़ डीड)
	v) संपत्ती कार्ड (प्रॉपर्टी कार्ड)
	vi) आबंटन पत्र (अलॉटमेंट लेटर)
	vii) सहकारी संस्था द्वारा दि गई रखरखाव रसीद (मेंटेनेंस रिसीट)
	viii) बिजली विपत्र (बिजली बिल)
क)	व्यवसाय के अस्तित्व का प्रमाण (जो उचित हो तो)
	i) भागीदारी का विलेख (पार्टनरशीप डीड)
	ii) संस्थापन प्रलेख (मेमोरैंडम ऑफ असोसिएशन)
	iii) कंपनी अधिनियम के तहत निगमीकरण का प्रमाणपत्र
	iv) संस्था पंजीकरण अधिनियम तथा बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट ऐक्ट के तहत धर्मादाय आयुक्त द्वारा जारी किया हुआ प्रमाणपत्र
ड)	खुली जगह पर विज्ञापन फलक नहीं हो करके प्रदर्शित करने हेतू कार्यकारी अभियंता इमारत प्रस्ताव इनका प्रमाणपत्र अर्जी के साथ अनिवार्य है।

प्रचार (एंडव्हाईलमेंट) शुल्क तथा विभाग कार्यालयों का नाम, पता और दुरध्वनी क्रमांक वृहन्मुंबई महानगरपालिका के www.portal.mcgm.gov.in संकेतस्थलपर उपलब्ध है। आवेदक से निवेदन है की, उपरोक्त जानकारी संकेतस्थल से प्राप्त करें।

अ. क्र.	दस्तावेजोंका विवरण	विज्ञापन श्रेणी के अनुसार सादर करने हेतुं कागजपत्रोंका विवरण (·)											
		विज्ञापन फलक (जमीन /बिना खिडकी दिवार)	टैक्सी, बस इ. के उपर गतौशील विज्ञापन	विज्ञापन :			कमान स्थित फलक	किऑस्क	परि वर्तनीय सुचना फलक	कंसाकृती कमान	निर्माण के तहत इमारत पर अप्रकाशीत लपेट विज्ञापन	निर्माण के तहत इमारत के घेरे पर अप्रकाशीत विज्ञापन फलक	अन्य
				स्काय वॉक	उड्डाण पुल	पादचारी पुल							
1.	भाग III ए (बी) के तहत "प्रक्रमण संसाधन शुल्क" भरी हुई मूल रसिद ।	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	भाग III बी (ए) के अनुसार जमीनदार से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" ।	✓	✓										
3.	भाग III बी (ए) के अनुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्था द्वारा दीया हुआ "अनापत्ति प्रमाणपत्र"।	✓											
4.	मुंबई म.न.पा. अधिनियम 1888 के कलम 328 / 328 ए के अनुसार विज्ञापनोंको अनुमती देने हेतू निश्चित की गई नितीके परिशिष्ट "बी" अनुसार "क्षतीपूर्ती बांड" ।	✓											
5.	निश्चित निती के परिशिष्ट "सी" के अनुसार "संयुक्त क्षतीपूर्ती बांड" ।	✓											
6.	स्थान की योजना और ब्लॉक योजना। (दो प्रतियां)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.	प्रस्तावीत स्टाइलसे 60 मीटर की दूरी से ली गई 10' एक्स 8' आकार की फोटो । (दो प्रतियां)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.	विज्ञापन फलक प्रकाशीत होने के कारण पुलिस (यातायात) के कार्यालयसे	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	अप्रकाशित	अप्रकाशित		

	निर्माण के तहत इमारतपर लपेट अवस्था मे विज्ञापन फलक प्रदर्शित करना हो तो इमारत प्रस्ताव विभाग द्वारा जारी सी.सी. (प्रारंभ प्रमाणपत्र) की कॉपी ।										✓	✓	
22.	विज्ञापन टैक्सी या बसपर प्रदर्शित करने हेतू पोलिस आयुक्त से , “अनापत्ति प्रमाण पत्र” ।		✓										
23.	विज्ञापन टैक्सी या बसपर प्रदर्शित करने हेतू क्षेत्रीय यातायात अधिकारी द्वारा जारी “अनापत्ति प्रमाण पत्र” ।		✓										
24.	खुली जगह पर विज्ञापन फलक नहीं हो करके प्रदर्शित करने हेतू कार्यकारी अभियंता इमारत प्रस्ताव इनका प्रमाणपत्र अर्जी के साथ अनिवार्य है।	✓											

विज्ञापन शुल्क तथा विभाग कार्यालयोका नाम पता और दुरध्वनी क्रमांक बृहन्मुंबई म.न.पा. के www.portal.mcgm.gov.in संकेत स्थलपर उपलब्ध है। आवेदक से निवेदन है की उपरोक्त जानकारी संकेत स्थल से प्राप्त करे।